प्रकरण संख्या 18/2012 रावजी के बजाय चिमन बनाम कमरूद्दीन

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.01.2020	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92–ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण भील जाति के होकर अनुसूचित जनजाति के सदस्य है जबकि प्रतिवादीगण जाति से बोहरा होकर गैर अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। ग्राम ओबला में वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित कुल खेत 6 रकबा 1.5700 हैक्टर भूमि स्थित है, जिस पर वादीगण का उनके पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है, किन्तु प्रतिवादीगण के पूर्वाधिकारी मृतक मोहम्मद अली ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर राजस्व रेकार्ड में अपना नाम अंकित करवा लिया जो धारा 42 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। अतः वादीगण को विवादित भूमियों का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया वादीगण का पिछले 90 वर्षो से विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है, जिससे उनका वाद मियाद बाहर है। दावे में धारा 42 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का जो अंकन किया गया है वह मिथ्या है। अतः वाद खारिज किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर कुल 5 तनकियात कायम की गयी तथा निर्णय दिनांक 29.03.2012 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से वकील श्री राजकुमार जैन उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद मियाद बाहर मानकर खारिज किया है, जो गलत	

है क्योंकि धारा 88 व 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कोई मियाद नहीं होती है। बयानों से आज भी कब्जा वादीगण का साबित है। अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत खसरा गिरदावरी संवत 2014 से 2018 प्रदर्श 9 के कॉलम नंबर 16 में ''बदस्तूर बेचान मोहम्मद'' दर्ज रेकार्ड है तथा खसरा गिरदावरी संवत् 2006 से 2009 प्रदर्श 8 के कॉलम नंबर 36 से 39 में ''मोहम्मद अली नजर अली बोहरा भुखियावाला कब्जा रहन 400/– रूपया दस साल की मियाद'' दर्ज रेकार्ड है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार होना बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हालांकि प्रकरण में तनकीवार विवेचन किया गया है, किन्तु धारा 42 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों अनुसार विधिवत विवेचन नहीं किया है एवं अपीलान्ट/वादीगण का वाद मात्र लम्बे समय बाद प्रस्तुत किये जाने के आधार पर खारिज कर दिया है, जबकि खातेदारी के वाद की कोई मयाद नहीं होती है। तदनुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29.03.2012 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में धारा 42 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार विवेचन करते हुए निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.03.2020 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.01.27 14:19:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: